बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2006

बिहार पंचायत राज अधिनियम,2006 का (बिहार अधिनियम 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।–(1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा–2 का संशोधन ।–

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा–2 (क ढ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :–

"(क ढ) "जिला परिषद" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन गठित जिला स्तर की पंचायत"

3. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा–167 का संशोधन ।–

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–167 की उपधारा (2)(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :–

"(ग) सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 4/5 भाग सदस्य, जो जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों, जिले की नगर पंचायत और नगर निगम तथा नगरपालिका पर्षद् के निर्वाचित पार्षदों के बीच से, उनके द्वारा, विहित रीति से ग्रामीण क्षेत्र और जिले के शहरी क्षेत्रों के बीच आबादी के अनुपात में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में निर्वाचित होंगे :

परन्तु निर्वाचित सदस्यों में व्यावहारिक रूप से यथाशक्य पचास प्रतिशत महिलायें होंगी :

परन्तु और कि यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं हो तो सरकार, जिला परिषद् के सदस्यों तथा जिले की नगर पंचायत और नगर निगम तथा नगरपालिका पर्षद के पार्षदों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों के सदस्यों को इतनी संख्या में मनोनीत कर सकती है जितना वह उपयुक्त समझे।"

The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2006

AN

ACT

To amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty seventh year of the Republic of India as follows :

1. Short title, extent and commencement l- (1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2006.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 2 of the Bihar Act 6, 2006 :-

Section 2 (a n) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 shall be substituted by the following:-

"(a n) "Zila Parishad" means Panchayat at the District Level constituted under this Act."

3. Amendment of Section 167 of the Bihar Act 6, 2006 :-

Sub-section (2)(c) of Section 167 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 shall be substituted by the following :-

"(c) Such number of persons, not less than four-fifth of the total number of members of Committee as may be specified by the Government, elected in the prescribed manner from amongst the members of the Zila Parishad, Nagar Panchayat and Councillors of the Municipal Corporation and the Municipal Councils in the district, in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district under the direction, supervision and control of the State Election Commission.